क्रमांक-27

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
सामान्य वर्ग

पत्रांक: 1644 एम0टी0/40एम0टी0-13/2012 दिनांक- 1/3/2016

कार्यालय ज्ञाप

मेसर्स पटेल सा मिल(सोल प्रो0-श्री भीमजी भाई पटेल) कृष्णा नगर, सतना(मध्य प्रदेश) का पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक-7116एम0टी0/54एम-139/2002, दि0-05.09.02 द्वारा लो0नि0वि0, उ0प्र0 में मार्ग कार्यों की ठेकेदारी हेतु दि0-30.06.2005 तक तथा अन्तिम नवीनीकरण पत्रांक-273एम0टी0/54एम0-139/02, दि0-09.01.06 द्वारा दिनांक-30.06.2008 तक के लिए किया गया था। फर्म के नाम अर्द्ध कुम्भ मेला 2006-07 में प्रकाष्ठ की आपूर्ति हेतु अनुबन्ध संख्या-35/एस0ई0/ई0ला0 वृत्त/06-07, दि0-16.10.2006 गठित किया गया था, जिसमें फर्म/ठेकेदार द्वारा बैंक गारण्टी सं0-0445आई0एल0जी0-001607, दि0-11.10.2006 धनराशि रू0-32,44,000/-(रू0-बत्तीस लाख चौवालिस हजार मात्र) लगाई गई थी। बैंक गारण्टी का सत्यापन कराए जाने पर प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक, कृष्णानगर, सतना (मध्य प्रदेश) ने अपने पत्र दिनांक-24.05.07 द्वारा सूचित किया कि उक्त बैंक गारण्टी उनके बैंक द्वारा जारी नहीं किया गया है। प्रकरण की जॉच शासन स्तर पर गठित टास्क फोर्स से कराए जाने पर यह पाया गया कि फर्म द्वारा उक्त अनुबन्ध में फर्जी बैंक गारण्टी लगायी गयी। तदोपरान्त शासन के पत्रांक-6078/23-13-2010-18(5)ईएम/09, दि0-08.12.10 एवं पत्रांक-6488/23-13-2010-18(5)ईएम/09, दि0-29.12.10 तथा मुख्य अभियन्ता, परिवाद "ख" वर्ग के पत्रांक-1346ईएफजी(ख)/सी0-41ई0एफ0-1214/09, दि0-03.01.11 के कम में मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर इस कार्यालय के पत्रांक-941एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0-139/02, दिनांक-11.02.2011 द्वारा फर्म को काली सूची में डाले जाने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित की गयी साथ ही अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4(कुम्भ मेला), लो0नि0वि0, इलाहाबाद द्वारा फर्म/ठेकेदार के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दि0-27.05.2011 को संबंधित थाने में दर्ज करा दी गयी। उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में फर्म/ठेकेदार के पत्र दिनांक-29.04.12 द्वारा प्रस्तुत उत्तर को इस कार्यालय के पत्रांक-2942एम0टी0, दिनांक-16.05.12 द्वारा मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, इलाहाबाद को प्रेषित करते हुए उस पर उनकी आख्या/संस्तुति मांगी गयी। मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, इलाहाबाद के पत्रांक-533/1सी(इला0)-ई0क्षे0/12-16, दि0-30.01.16 द्वारा फर्म को अनुबन्ध में फर्जी बैंक गारण्टी लगाकर विभाग को धोखे में रखकर आपराधिक कृत्य किए जाने के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4(कुम्भ मेला), लो0नि0वि0, इलाहाबाद एवं अधीक्षण अभियन्ता, इलाहाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, इलाहाबाद द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर फर्म को उक्त कृत्य हेतु काली सूची में डाले जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों/शासनादेशों एवं मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, इलाहाबाद द्वारा की गयी उपरोक्त संस्तुति एवं सुसंगत अभिलेखों पर समुचित विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-4127एम0एस0/23 सा0

पेज 2 पर......

नि0अनु0–7, दिनांक–02.12.74 में वर्णित प्राविधानों के परिपेक्ष्य में **मेसर्स पटेल सा मिल(सोल प्रो0–श्री भीमजी भाई पटेल) कृष्णा नगर, सतना(मध्य प्रदेश)** को ब्लैक लिस्ट(**Black List**) किए जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किए जाते है।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(राजपाल सिंह)
मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय–2)
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. उप सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्वबैंक, रा0मार्ग, पी0एम0जी0 एस0 वाई0, डारप/सोडिक लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ।
4. प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0 इलाहाबाद को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक–30.01.2016 के संदर्भ में।
6. निदेशक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
7. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियत्रंण सेवा विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, उ0प्र0, लखनऊ को शासन के पत्रांक–6078/23–7–13–2010–18(5)ई0एम0/09, दि0–08.12.2010 की छायाप्रति इस आशय से प्रेषित कि इसका प्रचार–प्रसार सम्पूर्ण भारतवर्ष में कराने का कष्ट करें।

   संलग्नक:उपरोक्तानुसार

10. अधीक्षण अभियन्ता, इलाहाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, इलाहाबाद।
11. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटर सैल, लो0नि0वि0, लखनऊ को उक्त आदेश विभागीय वेब साइट पर डाले जाने हेतु प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–4(कुम्भ मेला), लो0नि0वि, इलाहाबाद को उपरोक्त आदेश की एक अतिरिक्त प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे उपरोक्त फर्म/फर्म के सोल प्रोपराइटर को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

    संलग्नक:उपरोक्तानुसार

पंजीकृत 13. मेसर्स पटेल सा मिल(सोल प्रोपराइटर–श्री भीमजी भाई पटेल) कृष्णा नगर, सतना(मध्य प्रदेश)।

(सुरेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर(सामान्य)
लो0नि0वि0, लखनऊ